धारा 4(1)(b)-x

मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त के नियुक्ति नियम

<u>कार्यकाल:</u>

मुख्य सूचना आयुक्त/ सूचना आयुक्त, 5 (पांच) वर्ष की अवधि के लिए या वह 65 वर्ष की उम्र प्राप्त करने तक, पद धारण करेगा। मुख्य सूचना आयुक्त पुनर्नियुक्ति का पात्र नहीं होगा। सूचना आयुक्त अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (3) में विनिर्दिष्ट रीति के अनुसार मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्ति का पात्र होगा। यदि सूचना आयुक्त मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त किया जाता है, उसकी पदावधि सम्मिलित रूप से सूचना आयुक्त और मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी। **(सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 13(1), 13(2), धारा 13(2) के प्रावधान के अनुसार)**

इसके विनियम में जैसा की उपलब्ध कराया गया है, क्षतिपूर्ति के पद्धति सहित इसके प्रत्येक अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा प्राप्त किये जाने वाले मासिक पारिश्रमिक

आर.टी.आई. अधिनियम, 2005 की धारा 13(5) के अनुसार; संदेय वेतन और भत्ते तथा सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें--

(क) मुख्य सूचना आयुक्त की वही होगी, जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त की हैं;
(ख) सूचना आयुक्त की वही होगी, जो निर्वाचन आयुक्त की हैं;

परन्तु यदि मुख्य सूचना आयुक्त या कोई सूचना आयुक्त, अपनी नियुक्ति के समय, भारत सरकार के अधीन या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी पूर्व सेवा के संबंध में कोई पेंशन, अक्षमता या क्षति पेंशन से भिन्न, प्राप्त कर रहा है तो मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त के रूप में सेवा के संबंध में उसके वेतन में से, उस पेंशन की, जिसके अंतर्गत पेंशन का ऐसा कोई भाग, जिसे संराशिकृत किया गया था और सेवानिवृति उपदान के समतुल्य पेंशन को छोड़कर, सेवानिवृति फायदों के अन्य रूपों के समतुल्य पेंशन भी है, रकम को कम कर दिया जाएगा;

परन्तु यह और कि यदि मुख्य सूचना आयुक्त या कोई सूचना आयुक्त, अपनी नियुक्ति के समय, किसी केन्द्रीय अधिनियम या राज्य अधिनियम द्वारा या उसके

अधीन स्थापित किसी निगम में या केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी sarkari कंपनी में की गई किसी पूर्व सेवा के संबंध में सेवानिवृति फायदे प्राप्त कर रहा है तो मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त के रूप में सेवा के संबंध में उसके वेतन में से, सेवानिवृति फायदों के समतुल्य पेंशन की रकम कम कर दी जाएगी;

परन्तु यह भी कि मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त के वेतन, भत्तों और सेवा की अन्य शर्तों में उसकी नियुक्ति के पश्चात् उसके अलाभकर रूप में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

2. तदनुसार, मुख्य सूचना आयुक्त और नौ सूचना आयुक्त, जो वर्त्तमान में पद पर आसीन हैं, 150,000 रूपये का नियत वेतन और भत्ते जैसा कि समय-समय पर स्वीकार्य है, प्राप्त करते हैं।

3. आर.टी.आई. अधिनियम, 2005 की धारा 2(क) और 2(छ) के साथ पठित, धारा 13(6) के अनुसार केन्द्रीय सरकार, मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों को उतने अधिकारी और कर्मचारी उपलब्ध कराएगी, जितने इस अधिनियम के अधीन उनके कृत्यों के दक्ष पालन के लिए आवश्यक हों और इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए नियुक्त किए गए अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को संदेय वेतन और भत्ते तथा सेवा के निबंधन और शर्तें ऐसी होंगी, जो विहित की जाएं। आयोग के अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतनमान संलग्नक 'अ' के रूप में संलग्न हैं:

संलग्नक ‘अ’

क्र.सं.	पदों के पदनाम	पद के वेतनमान
1.	सचिव, सी.आई.सी.	67,000 से 79,000
2.	अपर सचिव, सी.आई.सी.	पे बैंड 4 + रू.10000/- ग्रेड पे
3.	रजिस्ट्रार	पे बैंड 4 + रू.10000/- ग्रेड पे
4.	संयुक्त सचिव और अपर पंजीयक	पे बैंड 4 + रू.8700/- ग्रेड पे
5.	निदेशक और संयुक्त पंजीयक	पे बैंड 4 + रू.8700/- ग्रेड पे
6.	उप सचिव / उप रजिस्ट्रार	पे बैंड 3 + रू.6600/- ग्रेड पे
7.	प्रधान निजी सचव	पे बैंड 3 + रू.6600/- ग्रेड पे
8.	अनुभाग अधिकारी	पे बैंड 2 + रू.4800/- ग्रेड पे
9.	प्रधान सचिव	पे बैंड 2 + रू.4800/- ग्रेड पे
10	सहायक	पे बैंड 2 + रू.4600/- ग्रेड पे
11.	निजी सचिव	पे बैंड 2 + रू.4600/- ग्रेड पे
12.	पुस्तकाल्याध्यक्ष	पे बैंड 2 + रू.4600/- ग्रेड पे
13.	आशुलिपिक ग्रेड ‘डी’	पे बैंड 1 + रू.2400/- ग्रेड पे
14.	यू.डी.सी.	पे बैंड 1 + रू.2400/- ग्रेड पे
15.	चालक	पे बैंड 1 + रू.1900/- ग्रेड पे
16.	मल्टी टास्किंग कर्मचारी	पे बैंड 1एस + रू.1800/- ग्रेड पे
	कुल	

एच.ए.जी. 67,000 – 67,000

पी.बी. 4: पे बैंड 4 (37,400 – 67,000)

पी.बी. 3. पे बैंड 3 (15,600 – 39,100)

पी.बी. 2. पे बैंड 2 (9300 – 34800)

पी.बी. 1एस पे बैंड 1 एस (4440 – 7440)

जी.पी. ग्रेड पे